नीयतों को संग्रह करना

[*हिन्दी*]

مسألة جمع النيات

[اللغة الهندية]

संकलन

एहसान बिन मुहम्मद बिन आईश अद-उतैबी

إحسان بن محمد بن عايش العتيبـي

अनुवाद

अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

ترجمة: عطاء الرحمن ضياء الله

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة

الرياض - المملكة العربية السعودية

इस्लामी आमन्त्रण एंव निर्देश कार्यालय रब्वा, रियाज़, सऊदी अरब

1429 - 2008

islamhouse.com

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

मैं अति मेहरबान और दयालु अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ।

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

नीयतो को संग्रह करना

यह एक महत्वपूर्ण समस्या है जिस के विषय में बाहुल्य रूप से प्रश्न किया जाता रहता है, कुछ प्रतिष्ठावान लोगों की इच्छा पर मैं ने इस बारे में एक लेख संकलन करना उचित समझा, आशा है कि यह लाभप्रद सिद्ध होगा।

यह मस्अला है : **"एक ही कार्य में कई नीयतों को संग्रह करना।"**

चुनाँचे मैं कहता हूँ :

१. सर्व प्रथम हमारे लिए यह जानना आवश्यक है कि कौन से आमाल -काम- अपने तौर पर स्थायी हैं और उनकी अपनी फज़ीलत है, तथा कौन से आमाल -काम- सामान्य हैं, उनकी कोई विशिष्ट फज़ीलत नहीं है।

२. **उदाहरण के तौर पर चाश्त की नमाज़ और तहिय्यतुल मस्जिद की नमाज़ :**

जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हदीसों में गहराई से देखते हैं तो हम यह पाते हैं कि चाश्त की नमाज़ का एक स्थायी हुक्म और विशिष्ट फज़ीलत है, इस प्रकार यह अपने तौर पर एक स्थायी नमाज़ है।

परन्तु तहिय्यतुल मस्जिद की नमाज़ : ऐसी नहीं है, चुनाँचे जो आदमी मस्जिद में दाखिल हुआ और कोई फर्ज़ नमाज़, या फज्र की सुन्नत, या इस्तिख़ारा की नमाज़ पढ़ी, या जमाअत खड़ी हुई पाई और उन के साथ नमाज़ पढ़ ली, तो उस के ऊपर जो अनिवार्य था उसे अदा कर दिया और निषिद्ध काम से बच गया, अब उसके ऊपर तहिय्यतुल मस्जिद की नमाज़ को क़ज़ा करना अनिवार्य नहीं है।

यहाँ पर मस्अला यह है कि: बुद्धिमान शारेअ् (धर्म के नियम बनाने वाले)ने मस्जि में प्रवेश करने वाले को बिना नमाज़ पढ़े हुए बैठने से रोका है, और उसे किसी निर्धारित नमाज़ का आदेश नही दिया है!

अतः उस ने जो भी नमाज़ पढ़ ली, वह निषिद्ध चीज़ से बच गया और आज्ञा पालन किया।

और जो आदमी मस्जिद में दाखिल हुआ और केवल तहिय्यतुल मस्जिद की नीयत से नमाज़ पढ़ी तो वह उदाहरण के तौर पर ज़ुहर की सुन्नत से किफायत नहीं करे गी।

तथा जब मस्जिद में दाखिल हुआ और ज़ुहर की सुन्नत की नीयत से नमाज़ पढ़ी तो नमाज़ पढ़ने से पहले बैठने की मनाही में नहीं पड़ा, और उस के ऊपर तहिय्यतुल मस्जिद की क़ज़ा नहीं है।

यह पहली स्थिति के विपरीत है : क्योंकि अगर उस ने तहिय्यतुल मस्जिद की नीयत से नमाज़ पढ़ी, फिर ज़ुहर की नमाज़ के लिए इक़ामत हो गई, तो फर्ज़ पढ़ने के बाद उसे सुन्नत की क़ज़ा करनी होगी।

३. **यदि आदमी को यह ज्ञात हो जाए कि** तहिय्यतुल मस्जिद के समान क्या है और चाश्त की नमाज़ के सदृ्श रूप क्या है, तो उस के लिए इस मस्अला की समस्याओं (इश्कालात) का समाधान हो जाए गा।

४. **तहिय्यतुल मस्जिद ही के समान ये भी हैं :**

❖ उस आदमी को जो नमाज़ पढ़ चुका है, जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ने का आदेश

इस विषय में 'सुनन' के अन्दर प्रसिद्ध हदीस है, जिसके अन्दर यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन (दो) लोगों पर नकीर (खण्डन) किया जो उन के साथ फज्र की नमाज़ में प्रवेश किए और इस कारणवश नमाज़ नहीं पढ़ी कि उन्हों ने अपने डेरे पर नमाज़ पढ़ ली थी।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन्हें आदेश दिया कि वे जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ें और यह उनकी नफ्ल नमाज़ हो जाए गी।

इस का उद्देश्य यह है कि : अगर यह दाखिल होने वाला किसी भी नीयत से जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ ले तो उस के लिए काफी है, क्योंकि जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ना उद्देश्य नहीं है, बल्कि मक़्सद यह है कि वह इस अवस्था में मस्जिद में न बैठे जबकि लोग नमाज़ पढ़ रहे हों।

इस आधार पर : यदि यह दाखिल होने वाला २ रकअत नमाज़ पाता है, फिर इमाम सलाम फेर देता है तो उस के लिए इमाम के साथ सलाम फेरना जाईज़ है !

इसी प्रकार यदि वह -उदाहरण के तौर पर इशा की नमाज़ में- एक रक्अत या तीन रक्अत पा लेता है तो वह -वित्र की नमाज़ की नीयत से- इमाम के साथ सलाम फेर सकता है।

❖ सोमवार और पीर का रोज़ा

क्योंकि इन दोनों दिनों के रोज़े की -उदाहरण के तौर पर अरफा या आशूरा के रोज़े के समान- कोई विशिष्ट फज़ीलत नहीं है, बल्कि इनका उद्देश्य यह है कि हर सोमवार और जुमेरात को अल्लाह के पास बन्दों के आमाल -कार्य- पेश किए जाते हैं, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पसंद करते थे कि आप का अमल आप के रोज़े की हालत में पेश किया जाए !

अतः यदि वह (सोमवार और जुमेरात के दिन) क़ज़ा, या नज़्र, या क्फ्फारा, या शव्वाल या अय्यामे-बीज़[1] के रोज़े रखता है: तो उक्त हदीस हर एक रोज़े के अनूरूप होगी, और उस का अमल रोज़े की अवस्था में उठाया जाए गा!

इसलिए शव्वाल के छः रोज़े रखने वाले के लिए हम श्रेष्ठ समझते हैं कि वह सोमवार और जुमेरात के दिन रोज़ा रखे।

यहाँ पर हम नीयत को संग्रह करने के लिए नहीं कहते हैं! क्योंकि सोमवार और जुमेरात के रोज़े अपने तौर पर स्थायी नहीं हैं, बल्कि (नीयत को संग्रह करने का) सिरे से यहाँ मुद्दा ही नहीं आता, क्योंकि सामान्य नीयत और सीमा बद्ध नीयत को किस प्रकार संग्रह किया जाए गा?!

५. शुद्ध बात यह है कि मुसलमान के लिए दो ऐसी इबादतों को संग्रह करना जाईज़ नहीं है, जिन में से प्रत्येक इबादत की एक विशिष्ट फज़ीलत है, या विशिष्ट रूप से उसका स्थायी आदेश दिया गया है।

उदाहरणतः रमज़ान की क़ज़ा और नज़्र के रोज़ों को एक साथ एकत्र नहीं किया जाए गा।

इसी प्रकार रमज़ान की कज़ा और शव्वाल के छः रोज़ों की एक साथ नीयत नहीं की जाए गा, इसलिए कि हदीस का अभिप्रया यह है कि आदमी ३६ दिन -या १ महीना ६ दिन- के रोज़े रखे, यदि दोनों नीयतो को संग्रह कर दिया गया तो आदमी ने केवल १ महीना का रोज़ा रखा !

---

[1] अय्यामे-बीज : अरबी (क़मरी) महीने की १३वीं, १४वीं और १५वीं रात को अरबी भाषा में 'अल्लयाली अल-बीज़' कहा जाता है, और इनके दिनों (१३, १४, १५) को अय्यामे-बीज कहते हैं। अय्यामे-बीज के रोज़े रखने की पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने रूचि दिलाई है।

यह बात हदीस के आशय के विपरीत है, हदीस का आशय यह है कि वह १ महीना और ६ दिन रोज़ा रखे। क्योंकि दूसरी हदीसों से यह स्पष्ट होता है कि इस हदीस का मतलब यही है (जो ऊपर बयान हुआ)। इब्ने माजह ने शुद्ध सनद के साथ रिवायत किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः ''जिस ने ईदुल फित्र के पश्चात ६ दिन का रोज़ रखा तो यह पूरे वर्ष (का रोज़ा रखने) के बराबर है, (क्योंकि) जिस ने कोई नेकी का काम किया उसके लिए उसके दस गुना पुण्य है।''

अनुवादक
(अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह)*
atazia75@gmail.com